

दलित उद्यमियों के द्वारा आय असमानता का सामना

प्रलिस के लयि:

दलति, [अनुसूचति जनजाति \(STs\)](#), [अनय पछिडा वरग \(OBCs\)](#), [जयोतबि फूले](#), [दयानंद सरसवती](#), भक्ति आंदोलन, नव-वैदांतिक आंदोलन, [डॉ. बी.आर. अंबेडकर](#), [अनुच्छेद 17](#)

मेन्स के लयि:

सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानताएँ, दलितों का सामाजिक उत्थान, दलितों के समक्ष चुनौतियाँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

चरचा में क्योँ?

भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलूर के एक अध्ययन के अनुसार, समान शिक्षा और सामाजिक पूंजी के स्तर के बावजूद भारत में [दलित व्यवसाय मालिकों](#) को अन्य [हाशिए के समूहों](#) की तुलना में [आय के महत्वपूर्ण अंतर](#) का सामना करना पड़ता है।

- अध्ययन में दलितों के आर्थिक परिणामों पर संस्थागत कलंक के प्रभाव को रेखांकित किया गया है, तथा उनकी व्यावसायिक आय में लगातार असमानताओं पर प्रकाश डाला गया है।

अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं?

- कार्य पद्धति:** अध्ययन में भारत मानव विकास सर्वेक्षण (IHDS) 2011 के आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसमें भारत के 373 जिलों के 42,000 से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है, ताकि व्यवसाय-स्वामित्व वाले परिवारों के बीच आय असमानताओं का विश्लेषण किया जा सके।
- संस्थागत कलंक का प्रभाव**
 - अध्ययन में दलित व्यवसाय मालिकों द्वारा सामना किये जाने वाले विशिष्ट कलंक-संबंधी नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, [जनिकी तुलना लंगकि](#), [जातिया जातीयता जैसी अन्य पहचान-आधारित चुनौतियों से नहीं की जा सकती।](#)
 - अध्ययन संस्थागत कलंक को उनके जनसांख्यिकीय समूह सदस्यता के आधार पर व्यक्तियों के [प्रतिपूर्वाग्रह और नकारात्मक धारणाओं के रूप में परिभाषित करता है, जो परस्पर जुड़े सामाजिक तंत्रों के माध्यम से समाज में वदियमान है।](#)
 - [दलित व्यवसाय मालिकों को उनकी ऐतिहासिक रूप से वंचित स्थिति के कारण निम्न आय स्तर का सामना करना पड़ता है, जो संसाधनों, अवसरों और व्यक्तिगत गरिमा तक उनकी पहुँच को प्रतिबंधित करता है, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है।](#)
- आय असमानताएँ:** दलित व्यवसाय मालिकों को आय में काफी अंतर का सामना करना पड़ता है, [अनय पछिडा वरग \(OBCs\)](#), [अनुसूचति जनजाति \(STs\)](#) और मुसलमानों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों की तुलना में उनकी आय लगभग 16% कम है।
 - [शिक्षा, भूमि स्वामित्व, शहरी परिवेश और सामाजिक वातावरण जैसे कारकों को नयित्ति करने पर भी यह आय अंतर बना रहता है।](#)
- सामाजिक पूंजी:** सामाजिक पूंजी लोगों के बीच संबंधों के नेटवर्क को संदर्भित करती है जो समाज या समुदाय को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है।
 - सामाजिक पूंजी आम तौर पर नेटवर्क और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके व्यवसाय मालिकों को लाभान्वित करती है; [हालाँकि दलितों को अन्य वंचित समूहों की तुलना में इन नेटवर्क से काफी कम लाभ होता है।](#)
 - [सामाजिक पूंजी में एक मानक वचिलन वृद्धि के परिणामस्वरूप गैर-कलंकित समुदायों के लिये व्यावसायिक आय में 17.3% की वृद्धि होती है, लेकिन दलित परिवारों के लिये सिर्फ 6% की वृद्धि होती है।](#)
- मानव पूंजी:** मानव पूंजी का तात्पर्य ज्ञान, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूल्यवान कारकों सहित व्यक्तिगत विशेषताओं से है, जो उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करती है।
 - [अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि यद्यपि शिक्षा से दलितों को लाभ होता है, लेकिन यह कुप्रथाएँ के कारण होने वाली आय की हानि को दूर करने के लिये अपर्याप्त है।](#)
- अध्ययन की सीमाएँ:

- अध्ययन में सामाजिक पूंजी की माप काफी सीमिति है; इसमें केवल संबंधों को ही शामिल किया गया है, **उनकी मात्रा या गुणवत्ता को नहीं**।
- अध्ययन में वर्ष 2011 के डेटा का उपयोग किया गया है, जिससे वर्तमान आर्थिक गतिशीलता और जाति-आधारित आय असमानताओं में बदलाव का पूरणरूप से मापन करना असंभव है। परिणामों की वर्तमान प्रासंगिकता का आकलन करने के लिये नषिकर्षों को नवीनतम डेटा के साथ पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है।

आय असमानताओं के नहितार्थ क्या हैं?

- **पारंपरिक वचारों को चुनौती:** अध्ययन उस पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है कि **जाति की पहचान आय असमानता में योगदान करने वाले कई कारकों में से एक है**, इसके स्थान पर यह दलितों द्वारा सामना किये जाने वाले अद्वितीय कुप्रथाएँ-संबंधी नुकसानों को उजागर करता है।
- **नषिकर्ष आर्थिक प्रणालियों की आवश्यकता:** परिणाम समतामूलक आर्थिक प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, **जिनकी सफलता किसी व्यक्ति की जन्म पहचान पर निर्भर नहीं होती**।
 - अध्ययन में दलित समुदायों द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव की अंतरनहित प्रक्रियाओं की गहन समझ की आवश्यकता निर्धारित की गई है।
- **लक्ष्मि हस्तकषेप:** अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि नीतितगत हस्तकषेपों को दलितों द्वारा सामना की जाने वाली **वशिष्ट कुप्रथाएँ-संबंधी चुनौतियों को समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, न कि सार्वभौमिक रणनीतियों पर निर्भर रहना चाहिये** जो आय के अंतर को प्रभावी रूप से कम नहीं कर सकती हैं।
 - इन परिणामों से इस बात की अधिक जाँच का मार्ग प्रशस्त होता है कि कुप्रथाएँ आर्थिक परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करता है, ताकि भारत में वंचित वर्गों को अधिक सहायता प्रदान की जा सके।

दलित कौन हैं?

- दलित, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से **"अछूत"** कहा जाता है, भारत में एक हाशिये पर स्थिति समूह है जो पारंपरिक जाति पिदानुक्रम में सबसे नीचे है। इस समूह को सदियों से प्रणालीगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ा है।
 - भारत की आबादी में दलित समुदाय का लगभग **16.6% हिस्सा है**। वे मुख्य रूप से **उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र** जैसे राज्यों में केंद्रित हैं।
- **"दलित" शब्द का ऐतिहासिक विकास:**
 - **"दलित" शब्द संस्कृत शब्द "दल" से निकला है, जिसका अर्थ है "जमीन", "दबाया हुआ" या "कुचल दिया हुआ।"** इसका प्रयोग पहली बार 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों का वर्णन करने के लिये किया था।
 - पूरे इतिहास में दलितों को कई नामों से जाना जाता रहा है, जिनमें **अंत्यज, परिया और चांडाल** शामिल हैं।
 - **महात्मा गांधी** ने दलितों का वर्णन करने के लिये **"हरजिन" (ईश्वर की संतान)** शब्द का प्रयोग किया। हालाँकि इसका उद्देश्य अधिक सम्मान देना था, लेकिन दलित नेताओं सहित कई लोगों ने इसे संरक्षणात्मक और अपर्याप्त रूप से सशक्त बनाने वाला पाया।
- **अनुसूचित जातियाँ:** ब्रिटिश प्रशासन ने वर्ष 1935 में इन समूहों को आधिकारिक तौर पर **"अनुसूचित जातियाँ"** के रूप में मान्यता दी, जिससे कानूनी ढाँचे के भीतर उनकी स्थिति औपचारिक हो गई।
 - वर्तमान में कानूनी तौर पर **दलितों को भारत में अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है** और संविधान में प्रत्यूक्त कार्यक्रमों के लिये इन जातियों की एक सूची अनिवार्य है। वर्तमान में **भारत में लगभग 166.6 मिलियन दलित हैं**।
 - हालाँकि इस सूची में **ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरित दलितों को शामिल नहीं किया गया है**, इसमें सिख धर्म अपनाने वाले लोग शामिल हैं।
 - **संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950** में कहा गया है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही अनुसूचित जाति के सदस्य माने जाते हैं।
- **दलित उत्पीड़न:**
 - **जाति व्यवस्था:** दलित उत्पीड़न की जड़ें जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में नहित हैं, **जैसा कि मनुस्मृति में वर्णित है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का एक हिंदू ग्रंथ है**। दलितों को ऐतिहासिक रूप से नमिन कार्यों तक ही सीमिति रखा गया था।
 - पारंपरिक **वर्ण व्यवस्था में अछूतों को पंचम वर्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया था**, जो समाज में सबसे नचिले पायदान पर थे। उन्हें नीच और प्रदूषणकारी व्यवसायों में धकेल दिया गया और उन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा।
 - **स्वतंत्रता-पूर्व भारत में प्रमुख दलित आंदोलन:**
 - **भक्त आंदोलन:** 15वीं शताब्दी के **भक्त आंदोलन** ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया और रूढ़िवादी हिंदू धर्म को चुनौती दी। इसमें **सगुण (साकार ईश्वर) और नरिगुण (नरिाकार ईश्वर) परंपराएँ** शामिल थीं।
 - **रवदास और कबीर** जैसे संत, जिन्होंने सामाजिक समानता और आध्यात्मिक मोक्ष का समर्थन करके दलितों को प्रेरित किया।
 - **नव-वैदांतिक आंदोलन:** **दयानंद सरस्वती** जैसे सुधारकों द्वारा शुरू किये गए इन आंदोलनों का उद्देश्य जाति व्यवस्था के भीतर असंपृश्यता को खत्म करना था।
 - वर्ष 1875 में **दयानंद सरस्वती** द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य जाति व्यवस्था को **अस्वीकार करके और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर हिंदू धर्म में सुधार करना था**।
 - वर्ष 1873 में **ज्योतिबा फुले** द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज, ने गैर-ब्राह्मणों को ब्राह्मणवादी प्रभुत्व से मुक्त करने का प्रयास किया।
 - इसने नचिली जातियों के उत्थान के लिये शैक्षिक और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया तथा मौजूदा

जातपिदानुक्रमों को चुनौती दी।

- **संस्कृतिकरण के लिये आंदोलन:** एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को नमिन जातकेसमूहों द्वारा अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिये उच्च जातके रीति-रिवाजों को अपनाने के रूप में परभाषति कथि।
 - दलति नेताओं ने सामाजिक मुखरता और उत्थान के रूप में बराहमणवादी प्रथाओं (जैसे, शाकाहार) का अनुसरण कथि।
- **गांधी का योगदान:** उन्होंने छुआछूत की आलोचना की और दलतियों के उत्थान की दशि में काम करने के लिये वर्ष 1932 में हरजिन सेवक संघ की स्थापना की।
 - **महात्मा गांधी** ने असपृश्यता को एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा और उनका उद्देश्य दलतियों को समाज में मुख्यधारा के रूप में एकीकृत करना था।
- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर का योगदान:** उन्होंने दलति अधिकारों के लिये विभिन्न आंदोलनों और कानूनी लड़ाइयों का नेतृत्व कथि, जनिमें महाड सत्याग्रह (1927) और कालाराम मंदिर सत्याग्रह (1930) शामिल हैं।
 - **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने बहिष्कृत भारत और समाज समता संघ की स्थापना की और राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिये अनुसूचित जातमहासंघ की स्थापना की।

समकालीन भारत में दलतियों के सामने क्या चुनौतियाँ वदियमान हैं?

- **सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार:** दलतियों को अक्सर गाँवों और शहरी क्षेत्रों में अलग-थलग तथा सार्वजनिक स्थानों से बहिष्कृत कर दिया जाता है एवं उन्हें असपृश्यता संबंधी प्रथाओं का सामना करना पड़ता है।
 - संकट के समय भी भेदभाव जारी रहता है जैसे कि वर्ष 2004 की सुनामी, जिसमें तमलिनाडु में दलतियों को राहत प्रयासों से गंभीर रूप से वंचित रखा गया था।
- **आर्थिक शोषण:** कई दलति करज़ के कारण **बंधा मजदूर** के रूप में कार्य करते हैं जबकि वर्ष 1976 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्हें अक्सर न्यूनतम या कोई मजदूरी नहीं मिलती है तथा वसिध करने पर उन्हें हसिा का सामना करना पड़ता है।
 - लगभग 80% दलति समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों में नवास करते हैं, मुख्य रूप से भूमिहीन मजदूरों या सीमांत किसानों के रूप में जिससे वे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं।
 - कानूनी नषिध के बावजूद कई दलतियों के लिये **हाथ से मैला ढोना** एक प्रचलति और अपमानजनक व्यवसाय बना हुआ है।
 - "भारत में आय और संपत्ति असमानता" रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 1% भारतीयों को वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आय का 22.6% प्राप्त हुआ, जो वर्ष 1951 में 11.5% था, इसी अवधि में मध्यम स्तर 40% की आय का अनुपात 42.8% से घटकर 27.3% हो गया, जबकि निचिले स्तर 50% की आय का हसिा 20.6% से घटकर 15% हो गया।
 - ये आँकड़े बढ़ते आय अंतर को रेखांकित करते हैं, जसिने दलतियों सहति सभी वंचित समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- **राजनीतिक भेदभाव:** राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण के बावजूद दलति मुद्दों को अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।
 - हालाँकि हाल के वर्षों में राजनीतिक लामबंदी हुई है और दलति नेताओं का उदय हुआ है, लेकिन बहुसंख्यक दलतियों के लिये वास्तविक लाभ अभी भी सीमित हैं।
- **अप्रभावी कानून:** नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जैसे कानून राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण अप्रभावी तरीके से लागू कथि जाते हैं।
- **न्यायिक स्तर पर अन्याय:** जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव के कारण दलति महिलाओं को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर यौन शोषण एवं हसिा का सामना करना पड़ता है, इन अपराधों के लिये अपराध दर भारत में अन्य महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है।
 - कुछ क्षेत्रों में युवा दलति लडकियों को धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर **वेश्यावृत्ति** में धकेला जाता है।
- **प्रवासन एवं शहरी चुनौतियाँ:** कई दलति परिवार शहरों की ओर पलायन करते हैं, जहाँ वे अक्सर **शहरी स्लम क्षेत्रों** में रहते हैं, जहाँ वे न्यूनतम सुरक्षा के साथ सबसे कम वेतन वाली नौकरियों करते हैं।
 - हालाँकि शहरों में दलति मध्यम वर्ग में वृद्धि हो रही है, जो शिक्षा तक पहुँच प्राप्त कर रहा है और सार्वजनिक सेवा, बैंकिंग और नज्जि उद्योगों में सुरक्षित रोजगार प्राप्त कर रहा है।

भारत में दलतियों के लिये क्या पहल और योजनाएँ हैं?

- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 17** असपृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। असपृश्यता से उत्पन्न किसी भी वसिगति को लागू करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है।
- **वधिक प्रयास:**
 - **अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी अधिनियम), 1989**।
 - **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:** इसका उद्देश्य भारत में असपृश्यता की प्रथा को समाप्त करना है।
 - **आरक्षण नीतियाँ:** भारत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिये आरक्षण लागू करता है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर पड़े समुदायों को अवसर प्रदान करना है।
 - **राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग (NCSC)**।
 - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम/योजना (मनरेगा/एस)**।
 - **सर्टिड अप इंडिया पहल**।

